न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 56/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/121
दायर दिनांक :– 24.03.2025 निर्णय दिनांक :– 14.05.2025

1. पानादेवी पत्नी रमणलाल जाति भैया निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादी के नाम से गैर खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1882/3033 रकबा 5–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 1882/3033/2 रकबा 11–14 बीघा भूमि स्थित है। वर्तमान गिरदावरी सम्वत 2079–2082 संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 65 के द्वारा खसरा नम्बर 1882/3033 रकबा 75–00 बीघा झंडेखान पुत्र शम्भू खान को गैर खातेदार भूमि आवंटन हुई। ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 706 (विरासत) अनुसार सतार खां, भाखर खं पिता अखु खां जाति मुसलमान खातेदार दर्ज हुई। नामान्तरकरण संख्या 718 के द्वारा खसरा नम्बर 1882/3033/2 रकबा 11–14 बीघा बेचान से इस्माइल खां पुत्र पठान के नाम खातेदारी की दर्ज हुई। नामान्तरकरण संख्या 860 खसरा नम्बर 1882/3033/2 रकबा 11–14 बीघा और खसरा नम्बर 1882/3033 रकबा 5–16 बीघा पानीदेवी के नाम खरीद अनुसार नामन्तरकण दर्ज करते समय पटवार हल्का द्वारा खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया । जबकि वादी का उक्त भूमि खरीद से लेकर आज दिन तक कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी की रहवासी ढाणी में वादी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा बरसात के समय में काश्त कर प्राकृतिक पैदावर का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसलिये वादी ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1882/3033 रकबा 5–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 1882/3033/2 रकबा 11–14 बीघा भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

14/5/25

न्यायालय सहायक कलेक्टर कोई
बाप

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1882/3033 रकबा 5–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 1882/3033/2 रकबा 11–14 बीघा भूमि में वादी के नाम खरीद के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 860 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त भूमि में वादी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के पक्ष में बयान पी. डब्लू–1 रमणलाल एवं शैतानसिंह के बयान पी.डब्लू–2 कलमबंद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1882/3033 रकबा 5–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 1882/3033/2 रकबा 11–14 बीघा भूमि वर्तमान में वादी के नाम गैर खातेदार दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1882/3033 रकबा 5–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 1882/3033/2 रकबा 11–14 बीघा भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैरखातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1882/3033 रकबा 5–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 1882/3033/2 रकबा 11–14 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 860 खरीद के आधार पर गैर खातेदारी में दर्ज की गयी जो वर्तमान में भी वादी के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे कथन किया है। इसी अनुसार वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर